न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 58/2020 **दायर दिनांकः 12.03.2020**

उनवान

1. गिरधारीलाल पुत्र मूलचन्द्र जाति धाकड़ निवासी मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0। (मृतक)

1/1 पुरूषोत्तम पुत्र गिरधारीलाल जाति धाकड़

1/2 सुरेश पुत्र गिरधारीलाल जाति धाकड़

1/3 हंसराज पुत्र गिरधारीलाल जाति धाकड़

1/4 राजेश पुत्री गिरधारीलाल धाकड़

2. मोहनलाल पुत्र मूलचन्द जाति धाकड़

3. हेमराज पुत्र मूलचन्द जाति धाकड़ निवासीगण मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर.टी.एक्ट</u>

<u>एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

आदेश दिनाकः 07/01/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:26:43 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई, वकील [illegible]क्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत [illegible] 88, 89, 91, 92ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि [illegible] ग्राम एवं माल भैसड़ा की खाता संख्या 191 की ख0नं0 512 की 15 बीघा 16 बिस्वा व ख0नं0

512/820 की 17 बीघा 15 बिस्वा कुल 2 किता का रकबा 33 बीघा 11 बिस्वा आराजी वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व मे चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2041 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जिसके बाद सेटलमेन्ट ख0नं0 512/820 के नये ख0नं0 806 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 512 का रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा व ख0नं0 512/820 का रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा के नये ख0नं0 807 का रकबा 4.92 है0 कुल 2 किता का रकबा 4.93 है0 नये बना कर वादीगण के खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज करदी जो वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 मिलान क्षैत्रफल, नया व पुराना नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों ने गैर कानूनी रूप से ख0नं0 806 की 0.01 है0, ख0नं0 807 का रकबा 4.92 है0 कुल 2 किता का रकबा 4.93 है0 आराजी ही करके वादीगण के खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज करदी जबकि 33 बीघा 11 बिस्वा के हिसाब से 5.36 है0, आराजी बनती है। जो वादीगण के खाते राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होनी चाहिये थी इस प्रकार 0.43 है0 आराजी वादीगण के खाते मे कम दर्ज की गई, जिसको वादीगण दुरूस्त करवाकर 4.93 है0 के स्थान पर 5.36 है0 आराजी अपने खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता है अस्तु यह वाद पेश है। वादीगण की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के लगवां दक्षिण दिशा में ख0नं0 517 की 61 बीघा आराजी स्थित है। जो कंचन बाई पिता मोतीलाल पत्नी रामप्रताप के खाते दर्ज थी जिसको सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत अधिगृहित करली गई थी जिसमे से नये ख0नं0 805 की 0.90 है0 बना कर बंजड़ कर प्रतिवादी राजस्थान सरकार के खाता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करदी गई नकल जमाबन्दी खाता संख्या 1 सम्वत् 2063 से 2066 व नक्शा ट्रेस मिलान क्षैत्रफल वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वादीगण व सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा 0.43 है0 आराजी कम दर्ज की गई थी, को प्रतिवादी के खाते दर्ज ख0नं0 805 की 0.90 है0 आराजी में से 0.43 है0 आराजी कम करवाकर अपने खाते बडवाकर दर्ज करवाकर 4.93 है0 के स्थान पर 5.36 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:26:43 IST
Reason: SelfAttested

करवाया जा सकता है। प्रतिवादी राजस्थान सरकार को धारा 80 सी0पी0सी0 का रजिस्टर्ड नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया है लेकिन चूंकि मामला आवश्यक प्रकृति का है यदि नोटिस की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा की गई तो प्रतिवादी वादीगण को 043 है0 आराजी जिस पर वे काबिज काश्त है। पर से बेदखल कर देगा जिससे वादीगण का वाद पेश करना ही व्यर्थ हो जावेगा इसलिए वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही धारा 80 (2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ यह वाद पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार व वादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकले लेने पर आराजी खाते मे कम दर्ज होने की जानकारी मिलने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी से खाता दुरूस्त करने का निवेदन करने के बाबजूद भी राजस्व रिकार्ड दुरूस्त नही करने व अन्तिम बार दिनांक 04.01.2010 धारा 80 सी0पी0सी0 का रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करने के बाबजूद भी खाता दुरूस्त नही करने पर माननीय न्यायायल के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद के0सी0सी0 के लिये नकल निकलवाने पर अवधि मध्य पेश है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें:—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर ख0नं0 नवीन 805 का रकबा 0.90 है0 जो प्रतिवादी के खाते दर्ज है में से 0.43 है0 आराजी कम की जाकर वादीगण के खाते में 4.93 है0 के स्थान पर 5.36 है0 आराजी दर्ज किये [illegible] के आदेश [illegible] को दिया जावें।

(ब) वाद [illegible] एवं अन्य [illegible] सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:26:43 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि:—

1.चरण संख्या 1 अस्वीकार है। चरण का जो भाग राजस्व रेकार्ड पर आधारित है उस भाग के अलावा अन्य भाग स्वीकार नहीं है ।

2.चरण संख्या 2 अस्वीकार है। सेटलमेन्ट का रिकार्ड वर्ष 1992 में ही आ गया था वादी ने समय पर दावा नहीं किया है सेटलमेंन्ट की प्रकिया के दौरान भी कच्चो पर्चे पक्के पर्चे जारी करते समय भूप्रबंध अधिकारियों के द्वारा समय समय पर सुनवायी का अवसर दिया गया है। लेकिन वादी नें कभी कोई आपत्ति नही की इसलिए वादी को अब किसी प्रकार का संशोधन करानें का अधिकार नहीं है।

3.चरण संख्या 3 अस्वीकार है।

4.चरण सेंख्या 4 अस्वीकार है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पहलें के बीघा बिस्वा में संधारित प्रणाली के बाद अजअसरे नो सर्वे कर हेक्टर प्रणाली मे रिकार्ड तैयार किया गया है। जिससे पूरा पूरा रकबा बीधा बिस्वा के अनुसार रिकार्ड संधारित किया जानें में असमर्थता रहती है।

5 सरण संक्ष्या 5 अस्वीकार है। धरा 80 सी०पी०सी० के नाटिस में दी गयी अवधि की प्रतीक्षा की जाना नियमानुकूल है।

6. चरण संख्या 6 अस्वीकार है । चरण में वर्णित सूचना तथ्यों पर आधरित नही है ।। वादी को सेटलमेंन्ट की संकिया के दौरान दो बार तथा पटवारी हल्का द्वारा वर्ष में दो बार गिरदावरी के दौरान सूचना दी जाती है।

7. चरण संख्या 7 अस्वीकार है ।

8. चरण संख्या 8 अस्वीकार है ।।

9. चरण संख्या ९ अस्वीकार है ।

अतः जचाब प्रस्तुत कर निवेदन है [illegible] अवैधपार है तथा स्वीकार योग्य नही है वादी केवल राजकीय भूमि पर अतिक्रमी है तथा अब भूमि की कीमत बढ जानें से इस सरकारी भूमि को कानूनी दॉवपेच में उलझा कर गलत तरीके पर दावा पेश कर रहा है जिससे प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है।जवाब सादर प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:26:43 IST
Reason: SelfAttested

दावे जवाब दावे के आधार पर निम्न लिखित तनकीयात कायम की:—

1. **तनकी नं0 1:—** आया वाके माल भैसडा की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है।

(वादीगण)

2. **तनकी नं0 2:—** आया वादीगण के खाते की आराजी 33 बीघा 11 बिस्वा के नया रकबा 4.93 है0 बनाया है वास्तविक रकबा 5.36 है0 में से 0.43 है0 कम बनाया है, जिसको वादीगण दुरूस्त करवाकर 4.93 है0 के स्थान पर 5.36 है0 दर्ज करवाने के अधिकारी है।

(वादीगण)

3. **तनकी नं0 3:—** आया वादीगण अपने खाते में 0.43 है0 आराजी कम की गई को प्रतिवादी के खाते की ख0नं0 805 रकबा 0.90 है0 किस्म बंजड़ में से 0.43 है0 आराजी कम करवाकर अपने खाते दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

(वादीगण)

4. **अनुतोष।**

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 का शपथ पत्र पेश किये तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र मे अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा कथन किया गया कि राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर ख0नं0 805 का रकबा 0.90 है0 जो प्रतिवादी के खाते दर्ज है। में से 0.43 है0 आराजी कम की जाकर वादीगण के खाते में 4.93 के स्थान पर 5.36 है0 आरजी दर्ज की जावें।

प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता हैः—

1. **तनकी नं0 1:—** आया वाके माल भैसडा की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्प में चली आ[illegible] इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था, वाद पत्र [illegible] नं0 1 में [illegible]त भूमि खाता संख्या 191 की ख0नं0 512 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा [illegible] 820 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा कुल 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:26:43 IST
Reason: SelfAttested

किता रकबा 33 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादीगण क्रम 1 ल 3 के खाते में जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2041 से दर्ज चली आ रही है।

(वादीगण)

2. **तनकी नं0 2:—** आया वादीगण के खाते की आराजी 33 बीघा 11 बिस्वा के नया रकबा 4.93 है0 बनाया है जो वास्तविक रकबा 5.36 है0 से 0.43 है0 कम बनाया है। जिसको वादीगण दुरूस्त करवाकर 4.93 है0 के स्थान पर 5.36 है0 दर्ज करवाने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 191 की कुल किता 2 रकबा 33 बीघा 11 बिस्वा वादीगण के खाते दर्ज थी जिसे बाद सेटलमेन्ट मिलान क्षैत्रफल 1 जुलाई 1989 से 30 जून 1990 में नये ख0नं0 806 रकबा 0.01 है0 व ख0नं0 807 रकबा 4.92 कुल किता 2 रकबा 4.93 है0 भूमि वादीगण के जमाबन्दी खाते दर्ज रिकार्ड की गई प्रमाण के रूप में जमाबन्दी सम्वत् 2063—2066 संलग्न की है। इस प्रकार पूर्व रकबा 33 बीघा 11 बिस्वा का बाद सेटलमेन्ट 5.36 है0 भूमि दर्ज होनी चाहिये थी जबकि 4.93 है0 भूमि दर्ज की गई है। प्रतिवादी/तहसीलदार ने अपने जवाब में वादीगण द्वारा इतने समय बाद लाने को लेकर आपत्ति दर्ज करते हुये कहा है कि वादीगण को रकबा कम होने पर दौरान ए सेटलमेन्ट ही आपत्ति की जानी चाहिए थी, वादीगण के वकील ने दौरान ए बहस प्रतिवादी के उक्त जबाव का खंडन कर बताया कि सेटलमेन्ट के समय वादीगण अनपढ़—किसान थे जिन्हे राजस्व संबंधी नियमों का ज्ञान नही था और मौके पर वह अपनी भूमि पर काबिज काश्त थे, वादीगण के तर्कों का अध्यन—ममन किया गया अतः प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल तहसीलदार (प्रतिवादी) 512 व 512/810 की रिपोर्ट के जवाब के आधार पर वादीगण के पूर्व रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा के 5.36 है0 भूमि अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। तनकी नं0 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 16:26:43 IST
Reason: SelfAttested

(वादीगण)

3. **तनकी नं0 3:—** आया वादीगण अपने खाते में 0.43 है0 आराजी कम की गई को प्रतिवादी के खाते की ख0नं0 805 रकबा 0.90 है0 किस्म बंजड़ में से 0.43 है0 आराजी कम करवाकर अपने खाते दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने की घोषणा

करवाने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 191 के ख0नं0 512 व ख0नं0 512/820 कुल किता 2 का कुल रकबा 33 बीघा 11 बिस्वा सेटलमेन्ट पूर्व दर्ज था वाद सेटलमेन्ट इनसे दो नये खसरें ख0नं0 806 रकबा 0.01 है0 एवं ख0नं0 807 रकबा 4.92 है0 कुल किता 2 रकबा 4.93 है0 बनाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये, इस सम्बन्ध में वादी द्वारा मिलान क्षेत्रफल (Exibit-3) एवं जमाबन्दी संवत् 2038—41 पेश की गयी है। इस प्रकार वादीगण की कुल 33 बीघा 11 बिस्वा भूमि सेटलमेन्ट में 4.93 है0 दर्ज रिकार्ड की गई जबकि यह 5.36 है0 दर्ज रिकार्ड होनी चाहिये थी, अतः वादीगण के राजस्व रिकार्ड में 0.43 (5.36—4.93) है0 भूमि कम दर्ज की गई जिसे दुरूस्त कराने के वादीगण अधिकारी है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में वादीगण की उक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमी माना है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण उक्त भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त कर रहे है। चूंकि पूर्व सेटलमेन्ट एवं बाद सेटलमेन्ट प्रत्येक राजस्व ग्राम का कुल क्षैत्रफल समान रहता है। सेटलमेन्ट के दौरान यदि किसी खसरे का क्षेत्रफल भूलवंश कम दर्ज रकबा उतना ही अधिक दर्ज रिकार्ड हो जाये तो आसपास के किसी खसरे/खसरों का रकबा उतना ही अधिक दर्ज रिकार्ड हो जाता है। राजस्व ग्राम का कुल रकबा सदैव समान रहेगा वादीगण द्वारा पेश किये पूर्व सेटलमेन्ट व वाद सेटलमेन्ट के नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट के बाद वादीगण की भूमि के दक्षिण में नया ख0नं0 805 रकबा 0.90 है0 किस्म बंजड दर्ज रिकार्ड हुआ है। वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजो यथा जमाबन्दी संवत् 2012—16 नक्शा ट्रेस संवत् 2012 मिलान क्षैत्रफलों जमाबन्दी संवत् 2063—66 नवीन नक्शा ट्रेस आदि के अवलोकन किया गया इससे स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों की भूलवश वादीगण के राजस्व रिकार्ड में 5.93 है0 की जगह 4.93 है0 भूमि दर्ज [illegible] है जो 0.43 है0 कम है, अतः वादीगण अपनी भूमि के दक्षिण भाग से लगते [illegible] सेटलमेन्ट बाद बनाये गये सरकारी खसरे नं0 805 की कुल 0.90 है0 बंजड भूमि से 0.43 है0 भूमि अपने राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः तनकी न0 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.03.02 13:26:43 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—:कियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है, विवादित भूमि ग्राम भैसडा की खाता संख्या 191 की ख0नं0 512 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा ख0नं0 512/820 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 33 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादीगण कम 1 ल 3 के खाते में जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2041 से दर्ज चली आ रही है। सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों की भूलवंश वादीगण के राजस्व रिकार्ड में 5.93 है0 की जगह 4.93 है0 भूमि दर्ज की गई है जो 0.43 है0 कम है, अतः वादीगण अपनी भूमि के दक्षिण भाग से लगते व सेटलमेन्ट द्वारा बनाये गये सरकारी खसरे नं0 805 की कुल 0.90 है0 बंजड भूमि से 0.43 है0 भूमि वादीगण के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में लिखवाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:26:43 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 58/2020

उनवान

1. गिरधारीलाल पुत्र मूलचन्द्र जाति धाकड़ निवासी मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0। (मृतक)

1/1 पुरूषोत्तम पुत्र गिरधारीलाल जाति धाकड़
1/2 सुरेश पुत्र गिरधारीलाल जाति धाकड़
1/3 हंसराज पुत्र गिरधारीलाल जाति धाकड़
1/4 राजेश पुत्री गिरधारीलाल धाकड़
मोहनलाल पुत्र मूलचन्द जाति धाकड़
हेमराज पुत्र मूलचन्द जाति धाकड़ निवासीगण मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर.टी.एक्ट</u>

<u>एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X..............................
बहाजिर :–
वादीः– विद्वान अभिभाषक भगवान स्वरूप मंगल।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित भूमि ग्राम भैसडा की खाता संख्या 191 की ख0नं0 512 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा ख0नं0 512/820 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 33 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादीगण क्रम 1 ल 3 के खाते में जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2041 से दर्ज चली आ रही है। सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों की भूलवंश वादीगण के राजस्व रिकार्ड में 5.93 है0 की जगह 4.93 है0 भूमि दर्ज की गई है जो 0.43 है0 कम है, अतः वादीगण अपनी भूमि के दक्षिण भाग से लगते व सेटलमेन्ट द्वारा बनाये गये सरकारी [illegible] नं0 805 की कुल 0.90 है0 बंजड भूमि से 0.43 है0 भूमि वादीगण के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश [illegible] जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:26:43 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......................... ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07.01.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:26:43 IST
Reason: SelfAttested